छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 784/2007*</u>

1. श्री अनिल अग्रवाल, - *अपीलार्थी*
वफादार साथी, दानीपारा, पुरानी बस्ती,
जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय छ0ग0 पर्यटन मण्डल,
जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 11 जनवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री अनिल अग्रवाल ने जन सूचना अधिकारी, छ0ग0 पर्यटन मण्डल, रायपुर के समक्ष दिनांक 14.06.207 को जानकारी प्राप्त करने एवं अवलोकन करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में अवलोकन नही कराने के कारण उनके द्वारा दिनांक 11.07.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील पर भी कोई कार्यवाही नही होने के कारण इससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 14.08.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में वित्त शाखा के प्रभारी श्री एम0जी0 श्रीवास्तव, डी0जी0एम0, वित्त को पांच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 27.12.2007 को प्रस्तुत किया गया और उत्तर पर भी उभय पक्ष की सुनवाई की गई । उत्तर में उन्होंने यह बताया कि उनके द्वारा अभिलेख अवलोकन कराने के लिए पत्र लिखा गया था और अपीलार्थी को इस हेतु धनराशि जमा कराने की सहमति दी गई थी, किन्तु उनके द्वारा कोई धन राशि जमा नही कराई गई तथा उन्हें पूरी जानकारी दी जा चुकी है एवं जो भी जानकारी शेष हो तो दी जावेगी, अत: उन्हें शास्ति नही लगाई जावे और भविष्य में वे अधिक तत्परता से कार्य करेंगे । अंतिम सुनवाई के दिन अपीलार्थी ने पत्र प्रस्तुत कर दो बार दी गई जानकारी में विरोधाभास बताया है, अत: उसे सही जानकारी देने के निर्देश दिये गये और दिनांक 04.01.2008 को संबंधित रिकार्ड का नि:शुल्क निरीक्षण करा दिया जावे और साथ ही विदेश यात्रा के वाउचर बिल की सत्यप्रतियॉं भी दी जावे । चूंकि विलंब करने में उनकी कोई दुर्भावना

नहीं थी, अतः उक्त कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । अपीलार्थी द्वारा राशि नही जमा कराने और अवलोकन नही कराये जाने का कारण सही है । अतः इस संबंध में शास्ति की कार्यवाही किया जाना आवश्यक नही है, फिर भी विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त